

**कार्यालय,
पुनर्वास पदाधिकारी,
कोशी योजना, सुपौल।
E-mail: ID-punarwasoffice@gmail.com**

झापांक 544 /

सुपौल, दिनांक 04-05-2026 /

अस्थायी बन्दोबस्ती हेतु अल्पकालीन सूचना-01/2026-27

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला सुपौल, सहरसा, मधुबनी एवं दरभंगा जिलान्तर्गत कोशी पूर्वी/पश्चिमी तटबंध के पुनर्वास स्थलों की कृषि योग्य रिक्त भूमि लौटरी द्वारा बन्दोबस्ती आम डाक द्वारा सत्र 2026-27 से 2028-29 तक के लिए तिथि निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है।

बन्दोबस्ती प्रक्रिया :-

❖ लौटरी समिति के सदस्य निम्नवत् होंगे:-

- | | |
|--|-----------|
| (1) संबंधित पुनर्वास पदाधिकारी, कोशी, योजना, सुपौल | - अध्यक्ष |
| (2) संबंधित अंचलाधिकारी | - सदस्य |

भूमि का ब्यौरा:-

बन्दोबस्ती स्थल-पुनर्वास पदाधिकारी का कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल बन्दोबस्ती की निर्धारित तिथि पूर्वी/पश्चिमी तटबंध से संबंधित दिनांक 16.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न अग्रधन जमा करने की तिथि :-15.05.2026 तक								
क्र 0	पुनर्वास स्थल का नाम	तालाब/खेती योग्य बन्दोबस्ती करने वाले जमीन का रकवा	आरक्षित कोटि	बन्दोबस्ती की न्यूनतम राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि 10% (रूपये में)	अवधि	बन्दोबस्ती की तिथि एवं समय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नरपत पट्टी गोपालपुर	1.00 एकड़ X 3 भूखण्ड	2 भूखण्ड	3200x3	320x3	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 16.05.2026 समय 11 बजे	लौटरी द्वारा (दो फसला)
2	सिमरा मलनी	1.00 एकड़ X 1 भूखण्ड 0.25 एकड़ X 1 भूखण्ड	1 भूखण्ड	3200x1 800x1	320x1 80x1	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 16.05.2026 समय 11 बजे	लौटरी द्वारा (दो फसला)
3	बेलही परसा	1.00 एकड़ X 3 भूखण्ड	2 भूखण्ड	3200x3	320x3	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 16.05.2026 समय 11 बजे	लौटरी द्वारा (दो फसला)
4	बेलही पुला	1.00 एकड़ X 5 भूखण्ड	3 भूखण्ड	3200x3	320x3	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 16.05.2026 समय 11 बजे	लौटरी द्वारा (दो फसला)
5	बहरामपुर	1.00 एकड़ X 10 भूखण्ड	5 भूखण्ड	3200x10	320x10	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 16.05.2026 समय 11 बजे	लौटरी द्वारा (दो फसला)
6	किशनपुर	1.00 एकड़ X 2 भूखण्ड	1 भूखण्ड	3200x2	320x2	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 16.05.2026 समय 11 बजे	लौटरी द्वारा (दो फसला)
7	खरेल परसा कर्णपुर	1.00 एकड़ X 1 भूखण्ड	1 भूखण्ड	3200x1	320x1	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 16.05.2026 समय 11 बजे	लौटरी द्वारा (दो फसला)

बन्दोबस्ती स्थल पुनर्वास पदाधिकारी का कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल बन्दोबस्ती की निर्धारित तिथि पूर्वी/पश्चिमी तटबंध से संबंधित दिनांक 19.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न अग्रघन जमा करने की तिथि :-18.05.2026 तक।

क्र 0	पुनर्वास स्थल का नाम	तालाब/खेती योग्य बन्दोबस्ती करने वाले जमीन का रकवा	आरक्षित कोटि	बन्दोबस्ती की न्यूनतम राशि (रूपये में)	अग्रघन की राशि 10% (रूपये में)	अवधि	बन्दोबस्ती की तिथि एवं समय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	नवहदा नीलखा	1.00 एकड़ X 7 भूखण्ड	3 भूखण्ड	2560x7	260X7	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 19.05.2026 समय 11 बजे	लॉटरी द्वारा (एक फसला)
9	चन्द्रायण	1.00 एकड़ X 35 भूखण्ड	17 भूखण्ड	2560x35	260x35	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 19.05.2026 समय 11 बजे	लॉटरी द्वारा (एक फसला)
10	महिशी उत्तरबाड़ी	1.00 एकड़ X 9 भूखण्ड	4 भूखण्ड	3200x9	320x9	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 19.05.2026 समय 11 बजे	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
11	महिशी जामुनबाड़ी	1.00 एकड़ X 10 भूखण्ड 50 डी0 X 1 भूखण्ड	5 भूखण्ड	3200x10 1600 x 1	320x10 160 x 1	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 19.05.2026 समय 11 बजे	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
12	औरिया रमौती	1.00 एकड़ X 5 भूखण्ड	2 भूखण्ड	2560x5	260x 5	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 19.05.2026 समय 11 बजे	लॉटरी द्वारा (एक फसला)

बन्दोबस्ती स्थल पुनर्वास पदाधिकारी का कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल बन्दोबस्ती की निर्धारित तिथि पूर्वी/पश्चिमी तटबंध से संबंधित दिनांक 20.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न अग्रघन जमा करने की तिथि :-19.05.2026 तक।

क्र 0	पुनर्वास स्थल का नाम	तालाब/खेती योग्य बन्दोबस्ती करने वाले जमीन का रकवा	आरक्षित कोटि	बन्दोबस्ती की न्यूनतम राशि (रूपये में)	अग्रघन की राशि 10% (रूपये में)	अवधि	बन्दोबस्ती की तिथि एवं समय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	गोरदह	1.00 एकड़ X 30 भूखण्ड	15 भूखण्ड	2560x30	260x30	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 20.05.2026 समय 11 बजे	लॉटरी द्वारा (एक फसला)
14	धर्मपुर तैखुटी	1.00 एकड़ X 30 भूखण्ड	15 भूखण्ड	2560 x30	260 x 30	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 20.05.2026 समय 11 बजे	लॉटरी द्वारा (एक फसला)
15	गमरहो	1.00 एकड़ X 2 भूखण्ड	1 भूखण्ड	2560x2	260 x 2	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 20.05.2026 समय 11 बजे	लॉटरी द्वारा (एक फसला)
16	तिलाठी	1.00 एकड़ X 27 भूखण्ड	14 भूखण्ड	2560x27	260x 27	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 20.05.2026 समय 11 बजे	लॉटरी द्वारा (एक फसला)
17	सतरस बेलबारा	1.00 एकड़ X 40 भूखण्ड	20 भूखण्ड	2560x40	260x40	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 20.05.2026 समय 11 बजे	लॉटरी द्वारा (एक फसला)

**बन्दोबस्ती स्थल पुनर्वास पदाधिकारी का कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल बन्दोबस्ती की निर्धारित तिथि
पूर्वी/पश्चिमी तटबंध से संबंधित दिनांक 21.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न
अग्रघन जमा करने की तिथि :-20.05.2026 तक।**

क्र 0	पुनर्वास स्थल का नाम	तालाब/खेती योग्य बन्दोबस्ती करने वाले जमीन का रकवा	आरक्षित कोटि	बन्दोबस्ती की न्यूनतम राशि (रूपये में)	अग्रघन की राशि 10% (रूपये में)	अवधि	बन्दोबस्ती की तिथि एवं समय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	भेलवा	1.00 एकड़ x 3 भूखण्ड	1 भूखण्ड	2560x3	260 x 3	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 21.05.2026 समय 11 बजे	लॉटरी द्वारा (एक फसला)
19	उटेसरा भीतर	1.00 एकड़ x 2 भूखण्ड	1 भूखण्ड	2560x2	260 x 2	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 21.05.2026 समय 11 बजे	लॉटरी द्वारा (एक फसला)
20	तेघरा खिरहो	1.00 एकड़ x 4 भूखण्ड	2 भूखण्ड	3200x4	320 x 4	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 21.05.2026 समय 11 बजे	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
21	तरबारा कुबौल	1.00 एकड़ x 8 भूखण्ड	4 भूखण्ड	2560x8	260x8	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 21.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (एक फसला)
22	तैतरी भमोल जकसो	1.00 एकड़ x 32 भूखण्ड	16 भूखण्ड	2560x32	260x32	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 21.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (एक फसला)
23	कुलहरिया	1.00 एकड़ x 7 भूखण्ड	3 भूखण्ड	3200x7	320x7	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 21.05.2026 समय 11 बजे	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
24	जिरोगा नरेन्द्रपुर	1.00 एकड़ x 8 भूखण्ड	4 भूखण्ड	3200x8	320x8	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 21.05.2026 समय 11 बजे	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
25	मटही	1.00 एकड़ x 9 भूखण्ड	5 भूखण्ड	3200x9	320x9	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 21.05.2026 समय 11 बजे	लॉटरी द्वारा (दो फसला)

**बन्दोबस्ती स्थल-पुनर्वास पदाधिकारी का कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल बन्दोबस्ती की निर्धारित तिथि पूर्वी/पश्चिमी तटबंध से संबंधित दिनांक 22.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न
अग्रघन जमा करने की तिथि :-21.05.2026 तक।**

क्र 0	पुनर्वास स्थल का नाम	तालाब/खेती योग्य बन्दोबस्ती करने वाले जमीन का रकवा	आरक्षित कोटि	बन्दोबस्ती की न्यूनतम राशि (रूपये में)	अग्रघन की राशि 10% (रूपये में)	अवधि	बन्दोबस्ती की तिथि एवं समय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	बरुआर नेमुआ	1.00 एकड़ x 17 भूखण्ड	9 भूखण्ड	3200x17	320x17	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 22.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
27	धरहरा 'ए'	1.00 एकड़ x 0.50 भूखण्ड	सामान्य	1600x1	160x1	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 22.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
28	धरहरा 'बी'	1.00 एकड़ x 5 भूखण्ड	2 भूखण्ड	3200x5	320x5	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 22.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
29	छजना बलुआ	1.00 एकड़ x 1 भूखण्ड 50 डी0 x 1 भूखण्ड	सामान्य	3200x1 1600x1	320x1 160x1	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 22.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
30	छजना झिटकी	1.00 एकड़ x 4 भूखण्ड	2 भूखण्ड	3200x4	320x4	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 22.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)

बन्दोबस्ती स्थल-पुनर्वास पदाधिकारी का कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल
बन्दोबस्ती की निर्धारित तिथि पूर्वी/पश्चिमी तटबंध से संबंधित दिनांक 26.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न
अग्रघन जमा करने की तिथि :-25.05.2026 तक ।

क्र 0	पुनर्वास स्थल का नाम	तालाब/खेती योग्य बन्दोबस्ती करने वाले जमीन का रकवा	आरक्षित कोटि	बन्दोबस्ती की न्यूनतम राशि (रूपये में)	अग्रघन की राशि 10% (रूपये में)	अवधि	बन्दोबस्ती की तिथि एवं समय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	बनगावा पिपराही	1.00 एकड़ x 8 भूखण्ड	4 भूखण्ड	3200x8	320x8	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 26.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
32	छजना लक्ष्मिनियों	1.00 एकड़ x 3 भूखण्ड	2 भूखण्ड	3200x3	320x3	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 26.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
33	रजुवाही फिरोजगढ़	1.00 एकड़ x 44 भूखण्ड	22 भूखण्ड	3200x44	320x44	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 26.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
34	मटरस	1.00 एकड़ x 2 भूखण्ड	1 भूखण्ड	3200x2	320x2	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 26.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
35	पौनी चपराम	1.00 एकड़ x 40 भूखण्ड	20 भूखण्ड	3200x40	320x40	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 26.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
36	अजरखे पौनी	1.00 एकड़ x 7 भूखण्ड	4 भूखण्ड	3200x7	320x7	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 26.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)

बन्दोबस्ती स्थल-पुनर्वास पदाधिकारी का कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल
बन्दोबस्ती की निर्धारित तिथि पूर्वी/पश्चिमी तटबंध से संबंधित दिनांक 27.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न
अग्रघन जमा करने की तिथि :-26.05.2026 तक ।

क्र 0	पुनर्वास स्थल का नाम	तालाब/खेती योग्य बन्दोबस्ती करने वाले जमीन का रकवा	आरक्षित कोटि	बन्दोबस्ती की न्यूनतम राशि (रूपये में)	अग्रघन की राशि 10% (रूपये में)	अवधि	बन्दोबस्ती की तिथि एवं समय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	बलथी खजुरी परसौनी	1.00 एकड़ x 32 भूखण्ड	16 भूखण्ड	3200x32	320x32	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 27.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
38	कालकापुर	1.00 एकड़ x 9 भूखण्ड	5 भूखण्ड	3200x9	320x9	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 27.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
39	मरौना अजरगरहा उत्तर	1.00 एकड़ x 12 भूखण्ड	6 भूखण्ड	3200x12	320x12	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 27.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
40	मरौना अजरगरहा दक्षिण	1.00 एकड़ x 2 भूखण्ड	1 भूखण्ड	3200x2	320x2	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 27.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
41	मरौना सरौनी उत्तर	1.00 एकड़ x 9 भूखण्ड	5 भूखण्ड	3200x9	320x9	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 27.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
42	मरौना सरौनी दक्षिण	1.00 एकड़ x 12 भूखण्ड	6 भूखण्ड	3200x12	320x12	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 27.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
43	सरौनी उत्तर	1.00 एकड़ x 9 भूखण्ड	4 भूखण्ड	3200x9	320x9	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 27.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
44	सरौनी दक्षिण	1.00 एकड़ x 14 भूखण्ड	7 भूखण्ड	3200x14	320x14	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 27.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)

बन्दोबस्ती स्थल-पुनर्वास पदाधिकारी का कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल
बन्दोबस्ती की निर्धारित तिथि पूर्वी/पश्चिमी तटबंध से संबंधित दिनांक 29.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न
अग्रधन जमा करने की तिथि :- 27.05.2023 तक ।

क्र०	पुनर्वास स्थल का नाम	तालाब/खेती योग्य बन्दोबस्ती करने वाले जमीन का रकवा	आरक्षित कोटि	बन्दोबस्ती की न्यूनतम राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि 10% (रूपये में)	अवधि	बन्दोबस्ती की तिथि एवं समय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	भखराइन	1.00 एकड़ x 15 भूखण्ड	8 भूखण्ड	3200x15	320x15	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 29.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
46	भखराइन, रहुआ, रतुआर	1.00 एकड़ x 23 भूखण्ड	12 भूखण्ड	3200x23	320x23	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 29.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
47	रसियारी परबलपुर	1.00 एकड़ x 14 भूखण्ड	7 भूखण्ड	3200x14	320x14	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 29.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (एक फसला)
48	रसियारी बकुनिया	1.00 एकड़ x 9 भूखण्ड	5 भूखण्ड	3200x9	320x9	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 29.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (एक फसला)
49	झगरुआ दक्षिण	1.00 एकड़ x 16 भूखण्ड	8 भूखण्ड	3200x16	320x16	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 29.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (एक फसला)
50	जिरोगा b	1.00 एकड़ x 7 भूखण्ड	3 भूखण्ड	3200x7	320x7	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 29.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)
51	जिरोगा महादेव मठ	1.00 एकड़ x 9 भूखण्ड	4 भूखण्ड	3200x9	320x9	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 29.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)

बन्दोबस्ती स्थल-पुनर्वास पदाधिकारी का कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल
बन्दोबस्ती की निर्धारित तिथि पूर्वी/पश्चिमी तटबंध से संबंधित दिनांक 30.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न
अग्रधन जमा करने की तिथि :- 29.05.2026 तक ।

क्र०	पुनर्वास स्थल का नाम	तालाब/खेती योग्य बन्दोबस्ती करने वाले जमीन का रकवा	आरक्षित कोटि	बन्दोबस्ती की न्यूनतम राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि 10% (रूपये में)	अवधि	बन्दोबस्ती की तिथि एवं समय	अभियुक्ति
52	जमालपुर दक्षिण	1.00 एकड़ x 15 भूखण्ड	8 भूखण्ड	2560x15	260x15	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 30.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (एक फसला)
53	अखतवारा उत्तर	1.00 एकड़ x 9 भूखण्ड	5 भूखण्ड	2560x9	260x9	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 30.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (एक फसला)
54	अखतवारा दक्षिण	1.00 एकड़ x 5 भूखण्ड	2 भूखण्ड	2560x4	260x4	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 30.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (एक फसला)
55	अमाही उत्तरी तरही	1.00 एकड़ x 10 भूखण्ड	5 भूखण्ड	2560x10	260x10	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 30.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (एक फसला)
56	पुनाच गंडोल	1.00 एकड़ x 16 भूखण्ड	8 भूखण्ड	2560x16	260x16	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 30.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (एक फसला)
57	बेलही ब्रह्मपुर	1.00 एकड़ x 6 भूखण्ड	3 भूखण्ड	3200x6	320x6	सत्र 2026-27 (एक वर्ष मात्र)	दिनांक 30.05.2026 समय 11 बजे पूर्वाह्न	लॉटरी द्वारा (दो फसला)

बन्दोबस्ती में भाग लेने की शर्तें

1. विभागीय निदेशानुसार बन्दोबस्ती के लिए लौटरी में भाग लेने में प्रथम प्राथमिकता पुनर्वासितों एवं पुनर्वास स्थलों में बसे हुए व्यक्तियों को दी जायगी। बन्दोबस्ती में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कम रहने पर तीन मील की परिधि के भीतर के पड़ोसी ग्राम के निवासी को भाग लेने हेतु मौका दिया जायेगा।
2. बन्दोबस्ती में निम्न क्रम में पुनर्वासित भूमिहीन अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य कोटि के भूमिहीन/अवकाश प्राप्त सैनिक/सहित सैनिक के उत्तराधिकारी को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. विभागीय आदेशानुसार सामाजिक अथवा आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय को बन्दोबस्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान है। तदनुसार बन्दोबस्ती प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य आरक्षण से संबंधित अभिलेख अग्रघन के साथ जमा करना आरक्षित कोटि के उम्मीदवार को अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में अन्य उपलब्ध सामान्य वर्गों के लोगों को बन्दोबस्ती का लाभ देने हेतु अधोहस्ताक्षरी पूर्णतः स्वतंत्र होंगे।
4. एक बार भूमि की बन्दोबस्ती प्राप्त करने के पश्चात पुनः बन्दोबस्ती में भाग लेने के लिए वे हकदार नहीं होंगे।
5. वर्णित पत्रानुसार बन्दोबस्ती हेतु निर्धारित राशि का 10 प्रतिशत राशि निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व (अवकाश छोड़कर) अग्रघन के रूप में जमा करने के पश्चात् ही बन्दोबस्ती में भाग ले सकेंगे।
6. लौटरी हेतु कर्णाकित भूमि की बन्दोबस्ती के लिए लगान की दर का अवधारण पुनरीक्षित विभागीय अधिसूचना संख्या 340 दिनांक 29.06.2016 द्वारा नियत आधार दर में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के आधार पर किया गया है। सत्र 2026-27 के लिए वर्णित पत्र के आलोक में एक फसला भूमि के लिए रुपये 2560 प्रति एकड़ एवं दो फसला भूमि के लिए रुपये 3200 प्रति एकड़ मात्र न्यूनतम बन्दोबस्ती दर निर्धारित किया गया है।
7. विभागीय ज्ञापांक के आलोक में बन्दोबस्ती की कुल राशि सफल व्यक्तियों को लौटरी/आय-डाक की तिथि के अगले पाँच दिन के भीतर (अग्रघन सहित) कुल लगान की राशि का 50 प्रतिशत तथा अवशेष 40 प्रतिशत राशि 15 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। राशि जमा नहीं करने पर उनकी जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।
8. बन्दोबस्ती की अवधि के बीच जनहित (पुनर्वास) में आवश्यकता होने पर बन्दोबस्त किये गये जमीन का विभागीय पदाधिकारी को उपयोग में लायी गयी भूमि को लेने का अधिकार रहेगा और वैसी स्थिति में बन्दोबस्ती स्वतः रद्द समझी जायेगी और शेष अवधि के लिए कोई दावा नहीं रहेगा। फसल आदि की नुकसान के मुआबजे के लिये बन्दोबस्तधारी द्वारा किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
9. बन्दोबस्ती लेने वाले व्यक्तियों को पुनर्वास स्थल की रिक्त भूमि में मात्र खेती ही करने का अधिकार होगा। उक्त जमीन में वे अपना या वैध/अवैध किसी तरह का स्थायी निर्माण नहीं करेंगे। स्थलीय स्थायी निर्माण की सूचना एवं स्थल का मिट्टी काटकर स्वरूप बदलने की स्थिति में बन्दोबस्ती के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
10. अधोहस्ताक्षरी को बन्दोबस्ती तिथि में परिवर्तन करने/स्थागित करने एवं सम्पन्न किये गये बन्दोबस्ती को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
11. जब तक बन्दोबस्ती सम्पन्न नहीं हो जाता है तब तक कोई भी व्यक्ति या समूह जमीन पर खेती का कार्य नहीं करेंगे। बन्दोबस्ती पाने वाले व्यक्ति ही उस जमीन का हकदार होंगे।

12. सफल लगान की राशि जमा करते समय अग्रधन की राशि को भुगतय लगान के विरुद्ध समायोजित कर लिया जाएगा। असफल व्यक्ति के अग्रधन की राशि बन्दोबस्ती सम्पन्न होने के तुरन्त बाद उन्हें वापस कर दी जाएगी।
13. पुनर्वास पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध बन्दोबस्तदार को किसी न्यायालय में जाने का हक नहीं होगा।
14. आम बन्दोबस्तधारी को पुनर्वासितों की नागरिक सुविधाओं में किसी प्रकार व्यवधान नहीं करना होगा अन्यथा उनकी बन्दोबस्ती रद्द की जा सकती है।
15. एक बन्दोबस्तधारी को भूखण्ड की बन्दोबस्ती अधिकतम एक एकड़ तक ही सीमित रहेगा, किसी भी परिस्थिति में एक एकड़ से अधिक भूखण्ड की बन्दोबस्ती नहीं दी जाएगी।
16. बन्दोबस्ती प्राप्त व्यक्ति किसी भी रूप में बन्दोबस्त भूमि का अधिकार किसी अन्य को नहीं सौंप सकेगा।
17. बन्दोबस्ती भूमि का उपयोग सिर्फ कृषि कार्य के लिए ही होगा। यदि बन्दोबस्त प्राप्त व्यक्तियों द्वारा बन्दोबस्त भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन से किया जाता है तो उस व्यक्ति का बन्दोबस्ती तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जायगी।
18. बन्दोबस्ती में भाग लेने वालों का वर्णित शर्तों मान्य है का प्रमाण पर हस्ताक्षर करना होगा।
19. बन्दोबस्ती से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस पर पुनर्वास कार्यालय, कोशी योजना सुपौल से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है एवं www.eproc.bihar.govt.co उपर देखा जा सकता है।
20. विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय पत्रांक 117 दिनांक 17.02.2016 एवं पत्रांक 340 दिनांक 29.06.2016 को विभागीय वेबसाईट wrd.bih.nic.com पर देखा जा सकता है।

पुनर्वास पदाधिकारी,
कोशी योजना, सुपौल

ज्ञापक 544 /

सुपौल, दिनांक 04-05-2026

प्रतिलिपि :- सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना डाक/बन्दोबस्ती से सम्बन्धित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं राजस्तरीय किसी दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रचार प्रसार प्रकाशित कराने की कार्रवाई



पुनर्वास पदाधिकारी,
कोशी योजना, सुपौल

04/05/26